कार्यालय :– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा (म0प्र0)

क्रमांक–Q-61 / जि0न्या0छिं0 / 2020 छिंदवाड़ा दिनांक 31.05.2021

विविध आदेश

गृह विभाग, म.प्र. शासन के आदेश क्र.–एफ–35–09 / 2020 / दो / सी–2 दिनांक 29 मई 2021 के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त निर्देशों में जिन जिलो में पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से कम है, वहाँ कुछ रियायतें दी गई हैं। जिला दण्डाधिकरी छिंदवाड़ा ने दिनांक 22.5.2021 के द्वारा छिंदवाड़ा जिले में दिनांक 24.05.2021 से 01.06.2021 की प्रातः 6.00 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया था। इसके पश्चात् आज दिनांक 31.05.2021 के 12.00 बजे तक जिले में लॉकडाउन संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। समाचार पत्रों की जानकारी अनुसार क्राईसेस मैनेजमेंट कमेटी, छिंदवाड़ा द्वारा दिनांक 30.05.2021 को हुई बैठक में लॉकडाउन से कुछ रियायतें दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में अभिभाषक संघ, छिंदवाड़ा के पदाधिकारियों से चर्चा की गई। ग्रामीण ईलाकों में सार्वजनिक परिवहन अभी बंद हैं। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के एस.ओ.पी. क्रमांक–ए / 113, दिनांक 15.01.2021 एवं क्र.–ए / 149, दिनांक 03.04.2021 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं बी.पी. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा, दिनांक 01.06.2021 से 05.06.2021 तक जिला न्यायालय, छिन्दवाड़ा (परिवार न्यायालय एवं श्रम न्यायालय सहित) एवं उसकी समस्त तहसीलों के लिये निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1– उक्त अवधि में जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश / समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय के न्यायालयों में न्यायिक कार्य सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक तथा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 / व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 के न्यायालयों में न्यायिक कार्य दोपहर 2 से 5 बजे तक होगा।

2– साक्ष्य लिये जाने वाले प्रकरणों को छोड़कर समस्त प्रकार के प्रकरण जिसमें अंतिम बहस के प्रकरण भी शामिल हैं, सुनवाई में लिये जायेंगे।

3– ऐसे समस्त प्रकरण (साक्ष्य के प्रकरण भी शामिल हैं) जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के द्वारा नियत समय सीमा में निराकृत किये जाने के आदेश दिये गये हैं, सुनवाई में लिये जायेंगे।

4– अंतिम बहस एवं अत्यावश्यक प्रकृति संबंधी समस्त कार्य जिनमें जमानत, सुपुर्दनामा, धारा 164 सी.आर.पी.सी. के कथन, रिमाण्ड संबंधी कार्य आदि यथासंभव वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से सुने जायेंगे। यदि किसी कारणवश किसी विशिष्ट मामले में व्ही.सी. से सुनवाई किया जाना संभव न हो उस स्थिति में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुये न्यायालय में प्रकरणों की भौतिक सुनवाई की जा सकती है।

5– समस्त न्यायालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। कार्यालय / अनुभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत तक रोटेशन के आधार पर रहेगी।

6– जिन कर्मचारियों की ड्यूटी उक्त अवधि में न्यायालय / अनुभाग में नियत न हो वे अपने आवास पर रहकर मोबाइल चालू रखेंगे, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें संबंधित पीठासीन अधिकारी / प्रभारी अधिकारी द्वारा बुलाया जा सकता है साथ ही कोई भी कर्मचारी / अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जायेंगे।

7– उक्त अवधि में पक्षकार / अधिवक्तागण जमानत व अन्य अत्यावश्यक प्रकृति के अन्य आवेदन पत्र ई–मेल के माध्यम से आई.डी royalamit21@gmail.com पर भेज सकेंगे। ई–मेल करने अथवा व्ही.सी. के माध्यम से सुनवाई में समस्या उत्पन्न होने पर जूनियर सिस्टम एनालिस्ट श्री अमित बावने मोबाइल नंबर 9425871458 एवं श्री विजय शेरके, डी.एस.ए., मोबाइल नंबर 9424949804 पर संपर्क करें। तहसील स्तर पर सुपुर्दगी व जमानत आवेदनपत्र तहसील न्यायालयों में पदस्थ आई.टी. असिस्टेंट / एस.ए. की निम्नानुसार ईमेल आई.डी. पर भेजे जायेंगे। यदि किसी कारणवश आवेदन / याचिकायें ऑनलाईन भेजा जाना संभव न हो तब न्यायालय के फाईलिंग काउंटर पर प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

तहसील	ई—मेल आई.डी.	आई.टी.असिस्टेंट	मोबाईल नंबर
सौंसर	ramgopaljbp@gmail.com	श्री रामगोपाल जंघेला	9406773259
पांढुर्णा	vishal.itasist@gmail.com	श्री विशाल रामटेके	8839726382
परासिया	amshukla07@gmail.com	श्री अंशुमन शुक्ला	9479485777
जुन्नारदेव एवं तामिया	sourabh.sharma4640@gmail.com	श्री सौरभ शर्मा	8989489640
अमरवाड़ा	mahendrakumar_jhariya@yahoo.com	श्री महेन्द्र झारिया	9770348884
हर्रई	harricourt2021@gmail.com	श्री संतोष झारिया	8109976693
चौरई	praveen21mar@gmail.com	श्री प्रवीण झारिया	8818992099

8— यह सुनिश्चित किया जाये कि वीडियो कॉफ्रेंसिंग के दौरान अधिवक्ता की अनुपस्थिति या किसी अन्य प्रकरण में पक्षकार या अधिवक्ता की अनुपस्थिति की दशा में उनके विरूद्ध कोई विपरीत आदेश पारित न किया जाये।

9— कोविड—19 के संक्रमण की रोकथाम के लिये माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्र.—Q-47 दिनांक 27.03.2021 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश दिनांक 01.06.2021 से 05.06.2021 के लिये प्रभावशील रहेगा। तत्पश्चात् अन्य आदेश के अभाव में न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्र.—Q-47, दिनांक 27.03.2021 अनुसार की जावेगी।

सही/–
(बी0पी0 शर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिन्दवाड़ा

प्रतिलिपिः—

01— माननीय रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

02— अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, जिला छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

03— अध्यक्ष, तहसील अधिवक्ता संघ, तहसील—सौंसर, पांढुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, हर्रई, तामिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

04— समस्त न्यायिक अधिकारीगण, छिंदवाड़ा, सौंसर, पांढुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, हर्रई, तामिया, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, छिंदवाड़ा की ओर संदर्भित ज्ञापन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

05— पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे समस्त आरक्षी केंद्र प्रभारियों को सूचना प्रेषित करें।

06— जेल अधीक्षक, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

07— जिला अभियोजन अधिकारी एवं लोक अभियोजक, छिंदवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

08— प्रभारी अधिकारी/सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई—मेल से सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेब—साईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

09— प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि न्यायालय परिसर के मुख्य द्वारों पर संलग्न नोटिस चस्पा किये जाने हेतु।

10— कोविड—19 के बचाव हेतु गठित कमेटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11— कार्यालय जन सम्पर्क अधिकारी, छिंदवाड़ा की ओर सभी दैनिक समाचार पत्रों में उपरोक्तानुसार समाचार प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित।

(बी0पी0 शर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिन्दवाड़ा